न्यायालय सहायक कलक्टर, (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : अतुल प्रकाश, आई०ए०एस० (प्रशिक्षु)

निर्णय दिनांक : 11.02.2020 **प्रकरण संख्या :** 22/18

बउनवान -

1. इण्डियन मिशन ऑफ मेडिकल साईन्सेज सोसायटी जरिये राजेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्रीलाल अग्रवाल, जाति अग्रवाल, निवासी 11–ए, तलवण्डी, कोटा

(वादी)

बनाम

हेमराज आत्मज पूरा जी, जाति वंजारा, निवासी ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

उपस्थिति : – वादी वकील श्री जुगल किशोर शर्मा
प्रतिवादी वकील श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा

दिनांक : 11.02.2020

वादी अभिभाषक द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के स्वयं के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 184/1 रकबा 0.32 हैक्टर, किस्म बारानी सोयम, वाके ग्राम उम्मेदपुरा, पटवार हल्का आलनिया तह0 लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है जिस पर वादी काबिज है। प्रतिवादी लडाकू झगडालू किस्म का व्यक्ति है और वादीगण की उक्त आराजी पर ताकत के बल पर कब्जा कर वादी को उक्त भूमि से बेदखल कर वादी के खातेदारी भूमि से वंचित करना चाहता है, इसके बाबत् पूर्व में भी कई बार वादी की भूमि से वादी को बेदखल करने की कोशिश की जा चुकी है और उक्त आराजी को अपनी स्वयं की बताता है तथा उक्त भूमि वादी की खातेदारी की होने के बावजूद भी प्रतिवादी उक्त भूमि पर नाजायज तरीके से व बलपूर्वक काश्त करने का प्रयास करने को प्रयत्नशील है, जिसका उसको कोई विधिक अधिकार नहीं है। कुछ दिन पूर्व प्रतिवादी मौके पर कुछ आपराधिक तत्वों के साथ आकर वादी की भूमि के अन्दर प्रवेश करने का प्रयास किया। प्रतिवादी ने अपने खातेदारी की भूमि से ज्यादा पर कब्जा कर रखा है। इससे वादी के स्वयं की खातेदारी की भूमि से बेदखल करने का पूरा पूरा भय उत्पन्न हो गया है क्योंकि जहां वादी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है वहीं प्रतिवादी प्रभावशाली व ताकतवर व्यक्ति है। यही वाद प्रस्तुत करने का वाद कारण है। वाद माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में है।

अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्व इस आशय की डिक्री फरमाई जावे कि वादीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 184/1 रकबा 0.48 हैक्टर वाके ग्राम उम्मेदपुरा, पटवार हल्का आलनिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा पर प्रतिवादी अवैद्य एवं अनाधिकृत तरीके से वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे और ना ही अवैधानिक रूप से कब्जा कर वादीगण को बेदखल करें, ऐसा कार्य ना ही प्रतिवादी करें ना ही अपने प्रतिनिधि, कर्मचारी व ऐजेन्टों से करावे।

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी अपने सहखातेदारान के साथ अपनी शामलाती खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 153, 186 कुल किता 2 रकबा 1.29 हैक्टर वाके ग्राम उम्मेदपुरा पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है और ना ही वादी के कब्जे काश्त की आराजीयात पर से वादी को बेदखल करने की कोशिश की गई है। वादी, प्रतिवादी से अदावत रखता है। वास्तविकता यह है कि वादी ने अपनी खातेदारी वाली भूमि से ज्यादा भूमि पर कब्जा कर रखा है। प्रतिवादी को वादी की आराजी से कोई लेना देना नहीं है। वादी, प्रतिवादी को अपनी आराजी पर जाने व काश्त करने से मना करता है। अतः प्रतिवादी को अपनी स्वयं काश्त की भूमि पर आने–जाने का रास्ता दिया जावे। अतः वाद वादी अस्वीकार किया जावे। विकल्प में वादी की विवादित आराजी की पैमाईश करवाकर पत्थरगढी करवाई जावे ताकि विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।

दौराने वाद प्रतिवादी अभिभाषक ने निवेदन किया कि वादी द्वारा अपने खाते की आराजी से अधिक आराजी पर कब्जा करके प्रतिवादी के अपने खेत पर जाने का रास्ता बन्द कर दिया है। अतः यदि विवादित आराजी की पैमाईश की जाकर वादी को उसके खाते की आराजी संभला दी जावे तो इसमे प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं होगी तथा प्रकरण का निस्तारण भी हो जावेगा, फलस्वरूप वादी अभिभाषक को बुलाकर उनका मत जानना चाहा, वादी अभिभाषक द्वारा निवेदन किया कि उन्हें तो उनके खाते की आराजी से ही वास्ता है। यदि मेरे पक्षकार के पास अधिक भूमि निकलती है उसमे वादी को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगणों के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया। जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रस्तुत प्रकरण में जवाब दावा पेश होने के बाद तनकीयात कायम नहीं किये गये है तथापि दोनों पक्षों के विवाद का निस्तारण भूमि की पैमाईश करवाकर किया जा सकता है। वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत अपना वाद पेश किया गया है, जिसमें स्पष्ट अंकित है –

धारा 188. अवैध बेदखली के विरूद्ध निषेधाज्ञा :– (1) कोई आसामी जिसके भूमि–क्षैत्र या भूमि–क्षैत्र के भाग पर उसके अधिकार अथवा उपभोग पर भूमिधारी या अन्य व्यक्ति द्वारा आक्रमण किया जाता है या आक्रमण किये जाने की धमकी दी जाती है।, शाश्वत निश्षेधाज्ञा की स्वीकृति के लिये दावा दायर कर सकता है।

(2) न्यायालय आवश्यक जांच करने के पश्चात निम्नलिखित अवस्थाओं में शाश्वत निश्षेधाज्ञा जारी कर सकता है अर्थात–

(क) यदि आक्रमण से हुई वास्तविक क्षति या होने वाली संभावित क्षति का निश्चयन करने के लिये कोई प्रमाण नहीं है,

(ख) यदि आक्रमण ऐसा है जिसके लिये आर्थिक क्षतिपूर्ति पर्याप्त परितोष नहीं है,

(ग) जहां बहुत संभावना यह हो कि आक्रमण के लिये आर्थिक क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं हो सकती है।

(घ) जहां कार्यवाहियों के बाहुल्य को रोकने के लिये निषेधाज्ञा आवश्यक हो।

माननीय न्यायालयों के निम्न गत निर्णयों का पर गौर किया गया –

- 1963 आर.आर.डी. 275 के अनुसार – यदि किसी आसामी को भय हो कि उपभोग अथवा अधिकारों पर भूमिधारी अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा आघात पहुंचाया जायेगा तो यह इस धारा के अन्तर्गत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर सकता है।
- 1982 आर.आर.डी. 33 के अनुसार – अनुतोष ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लाया जा सकेगा जो शांन्ति में किसी तरह की बाधा उत्पन्न करता है।
- 1984 आर.आर.डी. 588 के अनुसार – यदि किसी खातेदार काश्तकार की भूमि के उपयोग एवं अधिकारों के खिलाफ कोई व्यक्ति आपत्ति अथवा अतिक्रमण या धमकी देता है या दिये जाने की संभावना है, तो ऐसे व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से उक्त प्रकार के अनुचित कार्य के लिये पावन्द किया जा सकता है।

Scanned by CamScanner

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम उम्मेदपुरा, पटवार हल्का आलनिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 184/1 रकबा 0.48 हैक्टर वादी की खातेदारी में दर्ज है। यद्यपि प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावा में कथन किया है कि उसका विवादित आराजी से लेना देना नहीं है तथा उसके द्वारा वादी की भूमि को क्षतिग्रस्त करने का कभी कोई प्रयास नहीं किया गया है और वादी द्वारा भी ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे प्रतिवादी का कृत्य प्रमाणित होता हो, तथापि वादीगण की प्रार्थना अनुसार संभावित क्षति को दृष्टिगत रखते हुये वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम उम्मेदपुरा, पटवार हल्का आलनिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 184/1 रकबा 0.48 हैक्टर की पैमाईश की जाकर वादीगण को कब्जा संभलावे तथा पालना से न्यायालय को अवगत करावें। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

11/2/2020

(अतुल प्रकाश) I.A.S. (P)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी – अतुल प्रकाश, I.A.S. (P.)

बउनवान :–

1. इण्डियन मिशन ऑफ मेडिकल साईन्सेज सोसायटी जरिये राजेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्रीलाल अग्रवाल, जाति अग्रवाल, निवासी 11–ए, तलवण्डी, कोटा

(वादी)

बनाम

हेमराज आत्मज पूरा जी, जाति बंजारा, निवासी ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 22 / 18
निर्णय दिनांक : 11-02-2020

न्यायालय हाजा में वादी अभिभाषक श्री जुगल किशोर शर्मा एवं प्रतिवादी अभिभाषक श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा की उपस्थिति में आज तारीख 11–02–2020 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री अतुल प्रकाश, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर

वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम उम्मेदपुरा, पटवार हल्का आलनिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 184/1 रकबा 0.48 हैक्टर की पैमाईश की जाकर वादीगण को कब्जा संभलावे तथा पालना से न्यायालय को अवगत करावें। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। – खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 11 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

11/2/2020
(अतुल प्रकाश) I.A.S. (P)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	

Scanned by CamScanner